प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 20.11.2022

महिला का गला रेत कर निर्मम हत्या करने वाला 15,000 रुपयें का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष पिपराईच मय टीम द्वारा मु0अ0सं0 695/22 धारा 302,506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर से संबंधित लगातार फरार चलने वाला 15,000 रूपया का इनामिया अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र इन्दू सिंह निवासी ग्राम हेमधापुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अभियुक्त राकेश सिंह उपरोक्त के निसानदेही पर आला कत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी भगवानी देवी से पुराने मुकदमे की सुलह के लिए बोलना तथा वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा मना करने पर चाकू निकाल कर वादी मुकदमा की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध मे

अभियुक्ता का नाम/पता—

राकेश सिंह पुत्र इन्दू सिंह निवासी ग्राम हेमधापुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 695/2022 धारा 302/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0313/2019 धारा 354(क)/323/504/506/307/324 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0स0 012/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

1. एक अदद आला कत्ल चाकू
2. हत्या मे प्रयुक्त मोटर साइकिल
3. एक अदद ओप्पो मोबाइल
4. 530 रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम –

1- थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2- व0उ0नि0 राजकुमार सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3- उ0नि0 जयप्रकाश सिंह यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4- का दिनेश यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
5- म0का0 नेहा सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर